

प्रेषक,

रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मा0 महाधिवक्ता, उ0प्र0,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2017

विषय- उ0प्र0 महाधिवक्ता एवं राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद/लखनऊ में प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-365/2015, दिनांक 08-07-2015 एवं पत्र संख्या-527/2015, दिनांक 21-09-2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- सा0-096/सात-न्याय-1-16-46/2012, दिनांक 01-09-2016 के माध्यम से उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता एवं राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, इलाहाबाद/लखनऊ में निजी सचिव/अपर निजी सचिव संवर्ग में किये गये पुनर्गठन को इस शासनादेश निर्गत किये जाने के दिनांक से निम्नानुसार संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र0सं0 | पदनाम | पुनरीक्षित मैट्रिक्स लेबल | वेतन में मैट्रिक्स | वर्तमान में उपलब्ध पदों की संख्या | पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों की संख्या |
|---------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1- | प्रधान निजी सचिव | लेबल-13क | रु0 1,31,100- 2,16,600 | - | 01 |
| 2- | निजी सचिव ग्रेड-4 | लेबल-13 | रु0 1,18,500- 2,14,100 | 03 | 02 |

उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध प्रधान निजी सचिव के पद को निजी सचिव ग्रेड-4 से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

2- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते ये सम्बन्धित सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- वे0आ0-1-220/दस-2017, दिनांक 20 अप्रैल , 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/- रंगनाथ पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

संख्या- 25/2017/सा0-1701(1)/सात-न्याय-1-16-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद/लखनऊ।
- 5- वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग-1/2
- 6- वित्त (ई) अनुभाग-12
- 7- न्याय अनुभाग-9 (बजट)/विधि परामर्शी पुस्तकालय।
- 8- इण्टरनेट पर अपलोड करने/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
ह0/- श्रीनाथ राम,
उप सचिव।